

सेवामें,

श्रीमान् उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक
रणथम्भोर बाघ परियोजना-II करौली

विषय:— Construction of Widening ,Strengthening on Kranapur Mandrail -Ond-Chandelipura Road (MDR-3A) From Kranpur MDR-3A KM Stone No-00.00 to MDR-3A KM Stone No-34.00, Tehsil-Mandrail, District -Karauli (Rajasthan) Proposal No. FP/RJ/ROAD/148609/ 2021 के सम्बन्ध में।

संदर्भ:— पत्र क्रमांक: एफ () 2022-23 / एफ.सी.ए / उपसंआरटीआर-II / 2624 दिनांक 22.07.2022 (बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 11.07.2022)

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत सदरित पत्र के क्रम में लेख है कि विभाग द्वारा ऑन लाईन प्रेषित प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/148609/2021 के निस्तारण हेतु उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक रणथम्भोर बाघ परियोजना-II करौली द्वारा बैठक कार्यवाही दिनांक 11.07.2022 को प्रस्ताव में शेष कमियों की पूर्ति हेतु अवगत करवाया गया है। जिनकी बिन्दुवार पूर्ति कर प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही हेतु पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है।

क्र.सं.	आक्षेप	जवाब
1.	बैठक कार्यवाही दिनांक 11.07.2022 की बिन्दु संख्या 01	आपके पत्र क्रमांक एफ () 2021-22 वं.जी.स्वी. / उपसंआरटीआर-II/ 1319 दिनांक 20.04.2022 एवं पत्र क्रमांक एफ () 2021-22 वं.जी.स्वी. / उपसंआरटीआर-II/ 707 दिनांक 04.03.2022 द्वारा जारी ई.डी.एस. की पालना कर दी गई है।
2.	बैठक कार्यवाही दिनांक 11.07.2022 की बिन्दु संख्या 02	एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्ताव की स्टेज द्वितीय के साथ पालना रिपोर्ट में प्रस्तुत कर दिया जावेगा। एवं गैर वनभूमि आवंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
3.	बैठक कार्यवाही दिनांक 11.07.2022 की बिन्दु संख्या 03	जीआईएस तकनीकी से राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य के क्षेत्र से प्रस्तावित सड़क के क्षेत्र की जानकारी जुटा कर आवश्यक संशोधन कर दिया गया है।
4.	बैठक कार्यवाही दिनांक 11.07.2022 की बिन्दु संख्या 04	वन बन्दोस्त रिकॉर्ड में मार्क वन सीमा अनुसार वन सीमा खसरा मेप पर सही मार्क कर अपलोड कर दिया गया है तथा प्रभावित होने वाली वन भूमि की सही गणना की जाकर आवश्यक संशोधन कर दिया गया है।
5.	बैठक कार्यवाही दिनांक 11.07.2022 की बिन्दु संख्या 05	गैर वनभूमि आवंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उप वन संरक्षक के द्वारा परीक्षण करने के बाद गैर वनभूमि के दस्तावेज प्रस्तुत कर दिया जावेगा।
6.	बैठक कार्यवाही दिनांक 11.07.2022 की बिन्दु संख्या 06	एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्ताव की स्टेज द्वितीय के साथ पालना रिपोर्ट में प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

संलग्न:— उपरोक्तानुसार


अधिशायी अभियन्ता
सं० नि० वि० खण्ड-सपोटरा
जिला-करौली
 अधिशायी अभियन्ता
 सा.नि.वि खण्ड सपोटरा